भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2183

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

2183 # डा. अशोक बाजपेयी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामलों के बैकलॉग की बढ़ती समस्या के समाधान हेतु उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार की नीति और पहल, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की संस्वीकृत संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायालयों में मामलों का बैकलॉग/ लंबित मामले कई कारकों के कारण उत्पन्न होते है जिसमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादियों के अलावा भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय के कर्मचारियों की उपलब्धता और मामलों की निगरानी, ट्रैक और गुच्छा सुनवाई के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के उचित आवेदन सम्मिलित है। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों और न्यायाधीशों की रिक्तियों की स्थिति का सीधा संबंध नहीं है। वर्तमान में, तदर्थ न्यायाधीशों/सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्त नहीं की जा रही है।

सरकार उच्च न्यायपालिका में विद्यमान रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) : जी, नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या तारीख 9.8.2019 भारत सरकार की अधिसूचना तारीख 9.8.2019 द्वारा 30 से बढ़ाकर 33 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की गई थी । साथ ही उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 202 अर्थात 2014 में 906 से बढ़ाकर 2022 में 1108 कर दी गई है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार के साथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति अपेक्षित है क्योंकि उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमुर्ति न्यायालय दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और राज्य के सरकार को अवसंरचना प्रसुविधाओं, न्यायाधीशों के वेतन आदि की व्यवस्था करनी होती है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव 31.01.2022 को मुख्य न्यायमुर्ति, जम्मू -कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ था, जिसे 15.02.2022 को गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेज दिया गया था। एमएचए ने तारीख 3 मार्च, 2022के अपने पत्र और उसके बाद 2 जून, 2022 के एक अनुस्मारक के माध्यम से जम्मू - कश्मीर सरकार से इस मामले में अपने विचार प्रदान करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में प्रस्ताव अधूरा है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक समान प्रस्ताव 26.04.2022 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमुर्ति से प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तारीख 29 अप्रैल, 2022 के अपने पत्र द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 37 न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या से अधिक बढ़ाने का समर्थन नहीं किया। आंध्र प्रदेश सरकार के रुख को देखते हुए प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है।

वर्तमान में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

*****